

जुगलकिशोर - श्री राजलाल 27/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र	
--------	------------	--

2-9-18

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पर है। वन: पत्रावली पूर्वा आज्ञानुसार दिनांक 31-5-18
 को पेश हो

31-5-18

पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /

16-7-18

पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /

14-9-18

पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /
 पत्रावली पेश / वकील अपीलान्त / रेषपो उपस्थित /

22-10-18

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
 आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेषपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
 अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
 कर दी जावेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेषपोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस
 पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर
 नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
 की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर
 प्रकम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।



प्रमुख अधिकारी एवं
 पदेन सूचना अधिकारी
 सीकर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते

[Handwritten signature]